

अभिलेख उपस्थापित।

23

बालेश्वर पासवान पिता रामधनी राम, निवास स्थान रोला, पोस्ट-रोला, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-रोला, थाना नं०-176, खाता संख्या-54, प्लॉट संख्या-621, रकवा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि बिसनी देवी पति जयनाथ दुसाध पिता स्व० बेदो दुसाध, निवास स्थान बाबुडीह कुसुम्भा, पोस्ट-नवादा, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22033181 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-774/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 5072/रा० दिनांक 18.11.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 192 दिनांक 01.02.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हाशिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत होरिल दुसाध हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 7.56 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 5.1250 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-69/1 पर ऑनलाईन में होरिल दुसाध के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। आवेदक के परदादा जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 5.0950 एकड़ भूमि है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा B.L.R Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख  
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदि  
कार्य  
टिप्पणी

2

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में बालेश्वर पासवान पिता रामधनी राम, निवास स्थान रोला, पोस्ट-रोला, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-रोला, थाना नं0-176, खाता संख्या-54, प्लॉट संख्या-621, रकबा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि बिसनी देवी पति जयनाथ दुसाध पिता स्व0 बेदो दुसाध, निवास स्थान बाबुडीह कुसुम्भा, पोस्ट-नवादा, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहत्ती, हजारीबाग।

अपर समाहत्ती, हजारीबाग।